बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– 72/बामेती/2017–18/ 680 दिनांक 28/3/2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **वित्तीय वर्ष 2017–18 में सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना मद में कुल 910.03 लाख रू0 (नौ करोड़ दस लाख तीन हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना मद में कुल 910.03 लाख रू0 (नौ करोड़ दस लाख तीन हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के माध्यम से कृषि प्रसार तंत्र को सक्षम एवं प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से तथा कृषि की उन्नत तकनीकी की जानकारी किसानों को हस्तानांतरित करने हेतु कृषि तकनीकी पुस्तिकाओं/बुलेटिनों का प्रकाशन किया जाएगा। इससे फसलों के उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी तथा किसानों की शुद्ध आय बढ़ेगी।

3. कृषि तकनीकी पुस्तिकाओं/बुलेटिनों का प्रकाशन संलग्न अनुसूची–1 के अनुसार किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, बामेती, बिहार, पटना होंगे तथा राज्य स्तर पर कृषि विभाग द्वारा इसका पर्यवेक्षण किया जाएगा।

5. योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर वित्तीय सीमा के अंदर कृषि विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

6. कृषि तकनीकी पुस्तकों/बुलेटिनों का प्रकाशन हेतु प्रिटिंग की जाने वाली संस्थाओं का चयन निविदा द्वारा सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों के माध्यम से सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत कराया जाएगा।

7. सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) अंतर्गत कृषि तकनीकी पुस्तकों/बुलेटिनों के प्रकाशन हेतु राज्य योजना मद में व्यय होने वाली राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा निदेशक, बामेती, बिहार, पटना से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर बी0टी0सी0 42 पर विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना से की जाएगी तथा इसे बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) के पी0एल0 खाता सं0 278 विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना में स्थानांतरित किया जाएगा।

8. वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
राज्य योजना		
मुख्य शीर्ष–2401– फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0317 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन विपत्र कोड 01–2401001090317, पी0एफ0एम0 एस0 कोड–9144, विषय शीर्ष 31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	4271.66	755.33
मुख्य शीर्ष–2401–फसंल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0336–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन विपत्र कोड 01–2401007890336, पी0एफ0एम0 एस0 कोड–9144, विषय शीर्ष 31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	823.45	145.60
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष 0360–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड 01–2401007960360, पी0एफ0एम0 एस0 कोड–9144, विषय शीर्ष 31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	51.46	9.10
कुल	**5146.57**	**910.03**

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना की स्वीकृति में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन दिनांक 23.03.2018 को प्राप्त है एवं माननीय कृषि मंत्री का अनुमोदन संचिका 72/बामेती/2017–18 के पृ0सं0–19 दिनांक 27.03.2018 को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र सं0 –7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

11. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0 72/बामेती/2017–18 के पृ0 सं0–21/टि0 पर दिनांक 27.03.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.3.2018

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 72/बामेती/2017–18/ 680 दिनांक 28/3/201

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 72/बामेती/2017–18/ 680 दिनांक 28/3/2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.3.2018
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 72/बामेती/2017–18/ 680 दिनांक 28/3/2018

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.3.2018
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 72/बामेती/2017–18/ 680 दिनांक 28/3/2018

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.3.2018
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 72/बामेती/2017–18/ 680 दिनांक 28/3/18

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, पटना/निदेशक उद्यान/निदेशक पी0पी0एम0 सभी संयुक्त निदेशक (शस्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (शस्य) सूचना, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारी एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के ईमेल पर भेजने हेतु अनुलग्नक के साथ प्रेषित।

28.3.2018
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

(375)

अनुसूची–1

कृषि तकनीकी पुस्तकों/बुलेटिनों का प्रकाशन

क्र0 सं0	पुस्तिका/तकनीकी बुलेटिन का नाम	संख्या	प्रत्येक पुस्तिका/तकनीकी बुलेटिन में पृष्ठों की सं0 कवर सहित	मूल्य दर (कवर सहित रू0 में) मल्टीकलर में	राशि (रू0 में)
1.	समेकित कृषि प्रणाली	262555	24	19	4988545
2.	मसाला फसलों की वैज्ञानिक खेती	262555	28	44	11552420
3.	फसलों के प्रमुख कीट एवं रोग तथा उनका प्रबंधन	262555	100	101	26518055
4.	विभिन्न फसलों के उन्नत उत्पादन तकनीक	262555	98	100	26255500
5.	उद्यानिक फसलों की वैज्ञानिक खेती	262555	76	82	21529510
	कुल				9,08,44,030
6.	आकस्मिकता (सं0 में वृद्धि तथा परिवहन व्यय आदि)				1,58,970
	सकल योग				9,10,03,000

निदेशक
बामेती, बिहार, पटना